राष्ट्रीय जलमार्ग

राष्ट्रीय जलमार्ग सं0 1 (रा0 ज0 – 1)

इलाहाबाद से हल्दिया तक (1620 कि0 मी0) गंगा–भागीरथी–हुगली नदी के हिस्से को 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया।

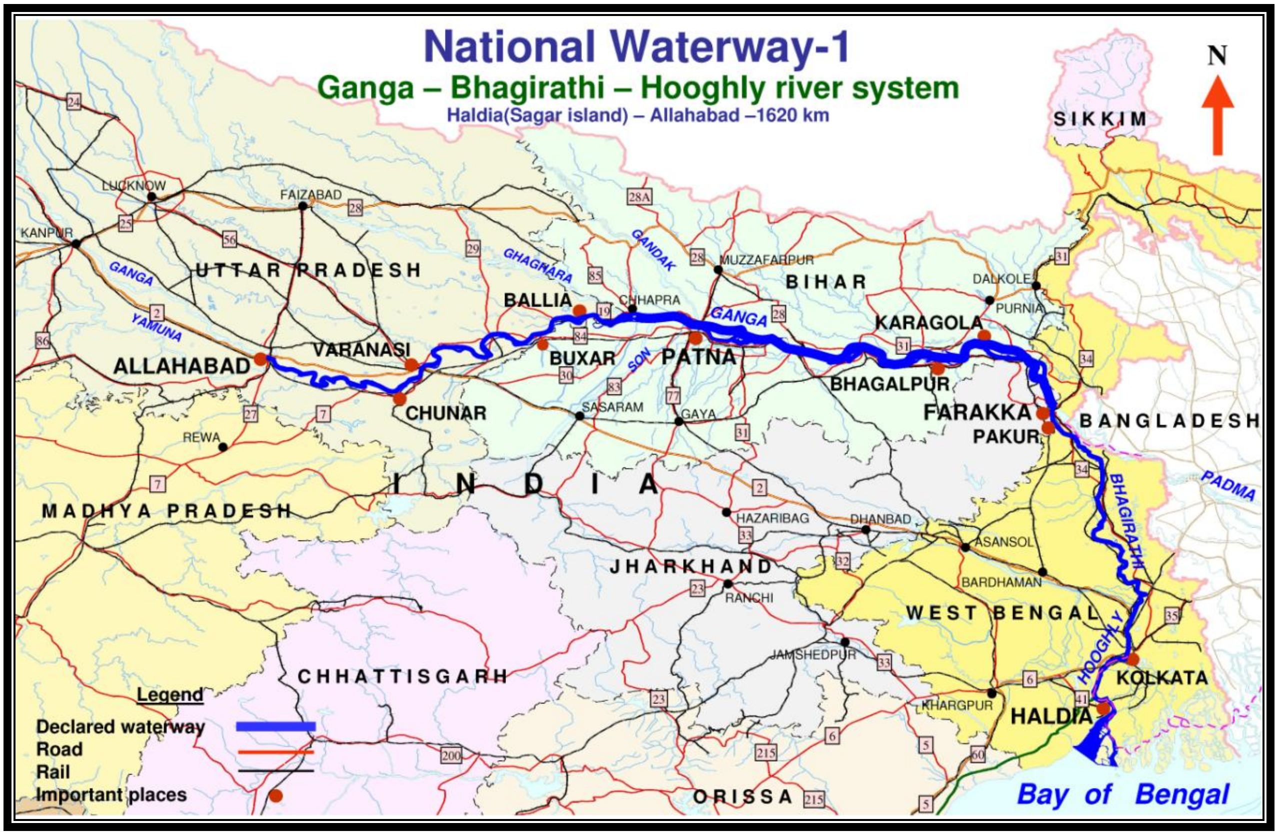

राष्ट्रीय जलमार्ग सं0 2 (रा0 ज0 – 2)

सदिया से धुब्री तक (891 कि0 मी0) ब्रह्मपुत्र नदी को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया।

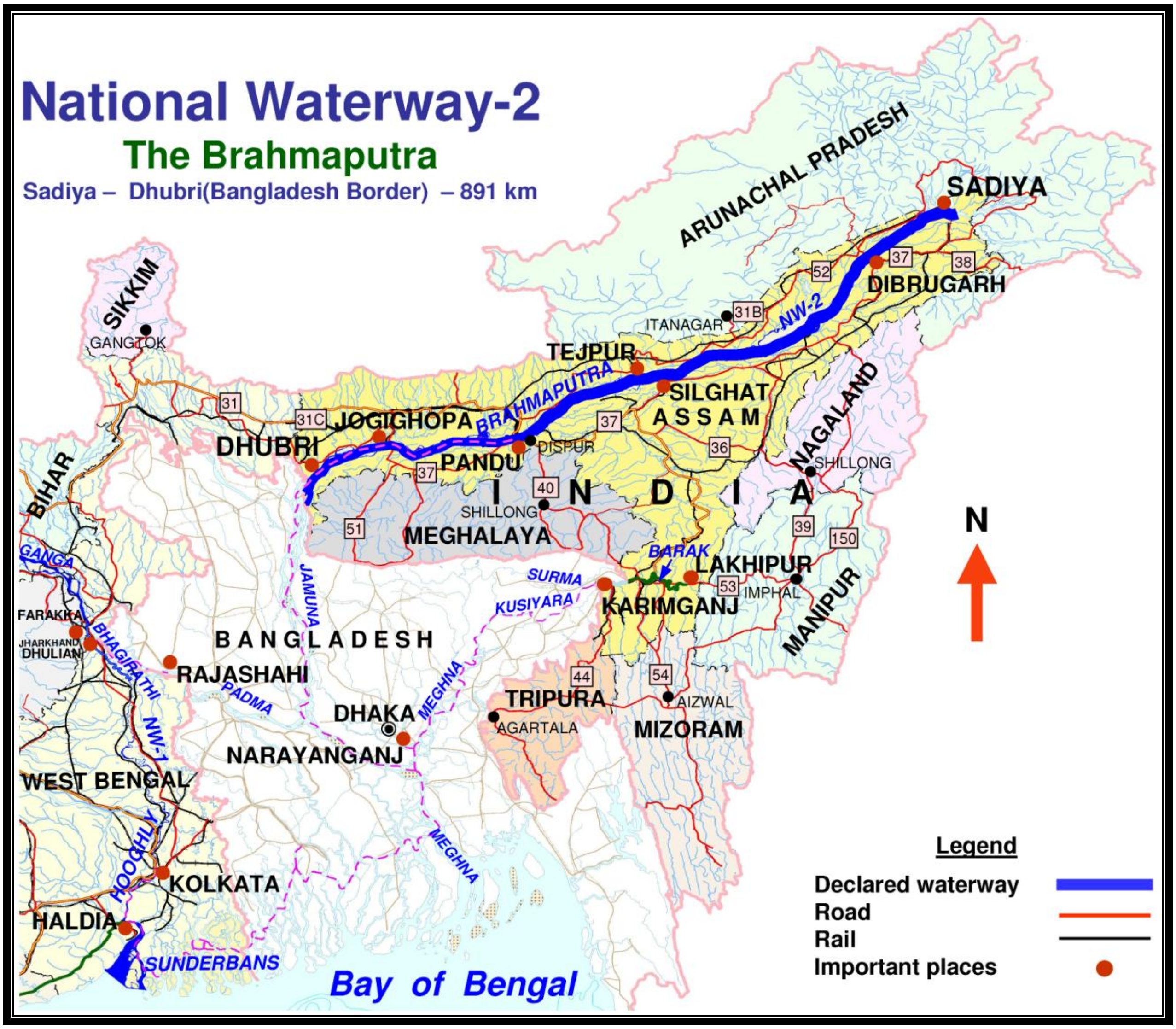

राष्ट्रीय जलमार्ग सं0 3 (रा0 ज0 – 3)

चम्पाकारा और उद्योगमंडल कैनाल सहित कोल्लम से कोट्टापुरम तक (205 कि0 मी0) पश्चिम तट कैनाल को 1993 में राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया।

दो नए राष्ट्रीय जलमार्ग (रा0 ज0 – 4 और रा0 ज0 – 5) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिए गए हैं, इससे संबंधित दिनांक 25.11.2008 को प्रकाशित गजट अधिसूचना इस प्रकार है :–

(i) कृष्णा नदी का वजीराबाद–विजयवाड़ा प्रखंड और गोदावरी नदी का भद्रचलम–राजामुन्द्री प्रखंड तथा कालूवेली टैंक एवं कैनालों का काकीनाडा – पुडुचेरी प्रखंड (रा0 ज0 – 4, 1095 कि0 मी0) और

(ii)ब्राह्मणी नदी का तलचर – धमरा प्रखंड, पूर्व तट कैनाल के जियोनखली–चरबतिया प्रखंड, मताई नदी के चरबतिया–धमरा प्रखंड और महानदी डेल्टा नदियों का मंगलगढ़ी–पारादीप प्रखंड (रा0ज0–5, 623 कि0 मी0)

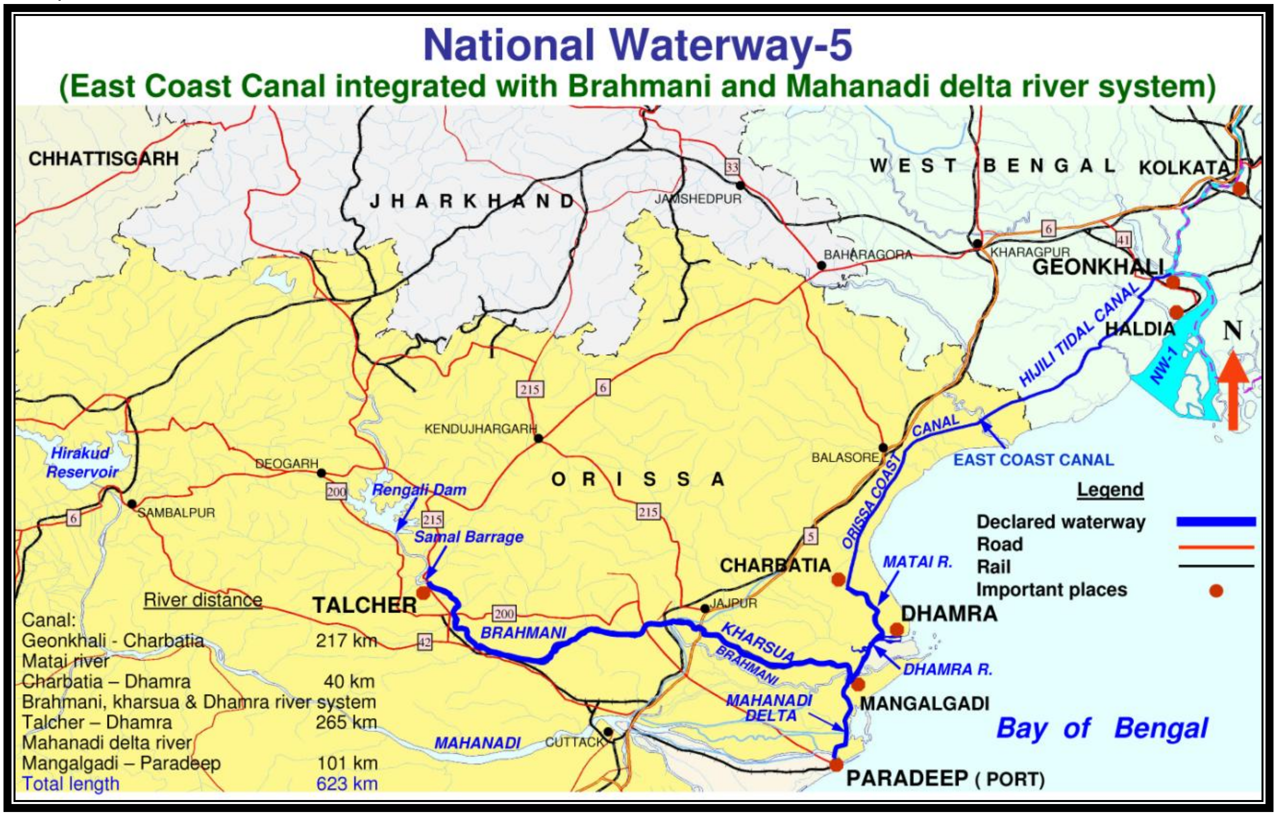

राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास

जलमार्गों के विकास के लिए तीन मूलभूत अ0 ज0 प0 संबंधी अवसंरचनाएं निम्न हैं :

(क) वांछित चौड़ाई और गहराई के साथ फेयरवे अथवा नौचालन संबंधी चैनल
(ख) सुरक्षित नौचालन के लिए नौचालन संबंधी सहायताएं ; और
(ग) जलयानों के बर्थिंग, कार्गो को चढ़ाने / उतारने के लिए टर्मिनल और सड़क और रेल से सम्पर्क मुहैया करना।

अ0 ज0 प0 प्रणाली को व्यवहार्य बनाने के लिए चौथा संघटक अन्तर्देशीय जलयान है, जो माल और यात्रियों की ढुलाई करता है। ऐसा माना जाता है कि एक बार फेयरवे, टर्मिनल और नौचालन संबंधी सहायताओं को संतोषजनक स्तर तक पहुँचा देने पर अन्तर्देशीय जलयानों में निजी क्षेत्र का निवेश बाजारू शक्तियों के अनुश्रुत बढ़ेगा जिसके कारण अन्तर्देशीय बेड़ा बढ़ेगा।

फेयरवे, टर्मिनलें और नौचालन संबंधी सहायताओं को मुहैया / अनुरक्षित करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्यान्वित की जा रही हैं।

राष्ट्रीय जलमार्ग सं0 1 और 2 विशिष्ट रूप से जलोढ़ नदियाँ हैं जिनमें ग्रीष्म और मानसून के महीनों में गुम्फन, टेढ़े–मेढ़े चलने और पानी के स्तर में काफी उतार–चढ़ाव (क्षैतिज और उर्ध्वाधर दोनों) के गुण देखे जाते हैं। इन नदियों में जल के कम स्तर वाले मौसम के दौरान अनेक उथले क्षेत्र (शोल) बन जाते हैं और 2 मीटर न्यूनतम उपलब्ध गहाराई (एल0 ए0 डी0) का अनुरक्षण खास करके ऊपर वाले स्थानों में कठिन हो जाता है। इन नदियों में संरक्षण (आर सी) कार्य (ड्रेजिंग और बंडालिंग) उथले भागों पर प्रत्येक वर्ष दुहराए जाते हैं क्योंकि हरेक मानसून के बाद उथले भागों को अभिज्ञात नये ढंग से करके उपचारी उपाय करने होते हैं। दूसरी तरफ रा0 ज0 – 3 एक ज्वारीय कैनाल है जिसमें ज्वारीय उतार–चढ़ाव के समरूप होने के कारण अनुमान लगाया जा सकता है। इस जलमार्ग में भारी निकर्षण के माध्यम से एक बार अपेक्षित गहराई मुहैया कर देने पर समय–समय पर आवश्यकतानुसार मामूली अनुरक्षण निकर्षण द्वारा इसे कई वर्षों तक अनुरक्षित रखा जाता है।